

UPAU120026522023



न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०), बिधूना, औरैया।
उपस्थित : कुशाग्र मिश्र (उ०प्र० न्यायिक सेवा) J.O. Code : UP4693

सिविल वाद संख्या-507/2023

शेष कुमार शुक्ला

बनाम

अफजाल अहमद आदि।

दिनांक-28.11.2025

1. पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रस्तुत हुयी। वादी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र कागज संख्या 6ग पर पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है। न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 11.11.2025 को प्रतिवादीगण की आपत्ति का अवसर समाप्त किया गया।

निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज संख्या-6ग

2. प्रार्थी/वादी द्वारा प्रार्थना पत्र कागज संख्या-6ग मय शपथपत्र 7ग दौरान मुकदमा अस्थायी निषेधाज्ञा की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र कागज सं०-6ग से अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश इस आशय का याचित किया गया है कि प्रतिवादीगण कभी भी किसी भी सूरत में वादी के विवादित सम्पूर्ण मकान स्थित ग्राम पुर्वा दानशाह पोस्ट सहार परगना बिधूना जिला औरैया कि जिस मकान को वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में अक्षर अ,ब,स,द व रंग लाल से प्रदर्शित किया गया है तथा जिसकी चौहद्दी वादपत्र के अन्त में व वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित की गयी है, से वादी को जबरन बेदखल कर उस पर कब्जा नाजायज न करे न करावे यानि कि विवादित मकान में वादी के आवासित रहने, उपयोग व उपभोग करने में कोई हस्तक्षेप अथवा अवरोध उत्पन्न न करें न करावे।

3. प्रार्थना पत्र कागज सं०-6ग से समर्थित शपथपत्र कागज सं०-7ग में यह कथन किया है कि प्रार्थी/वादी अलावा दीगर जायदाद के एक कित्ता मकान स्थित ग्राम पुर्वा दानशाह परगना बिधूना जिला औरैया के 2/3 भाग का मालिक काबिज दखील व स्वामी है व प्रतिवादी संख्या 2 उपरोक्त मकान के 1/3 भाग का मालिक काबिज दखील व स्वामी था कि जिस सम्पूर्ण मकान को वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में अक्षर अ, ब, स, द बरंग लाल से प्रदर्शित किया गया है तथा जिसकी चौहद्दी वादपत्र के अन्त में व वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित की गयी है। वाद उपरोक्त में इसी मकान का निजा है जिसे आगे विवादित मकान कहकर सम्बोधित किया गया है। प्रार्थी व प्रतिवादी के पिता कृष्ण बिहारी उर्फ छोटेलाल ने अपने भाई जगदीश चन्द्र शुक्ला से एक मकान स्थित ग्राम पुर्वा दानशाह व आबादी से लगी हुयी आराजी गाटा संख्या 815मि० रकवा 0.093 हैक्टेयर स्थित ग्राम पुर्वा दानशाह परगना बिधूना जिला औरैया में से रकवा 0.017 हैक्टेयर का एक प्लाट का क्रय किया था। चूँकि प्रार्थी के पिता व जगदीश चन्द्र शुक्ला आपस में सगे भाई थे कि जिस कारण जगदीश

चन्द्र शुक्ला ने आपसी सहमति व स्वीकृति के आधार पर उपरोक्त मकान व उपरोक्त आराजी के विक्रीत प्लॉट के सम्बन्ध में एक समझौता पत्र दिनांक 30.03.2010 को तहरीर कराकर नोटरी अधिवक्ता से प्रमाणित कर दिया और शपथकर्ता के पिता ने उपरोक्त मकान व आराजी पर जगदीश चन्द्र शुक्ला से कब्जा दखल प्राप्त कर लिया। प्रार्थी के पिता द्वारा उपरोक्त आराजी में क्रय किये हुए प्लॉट में प्रार्थी के पिता ने निजी सरमाये से उपरोक्त आराजी में एक कमरा, बरामदा का निर्माण कराया व उसमें टीन शैड डलवायी कि जिस मकान में प्रार्थी के पिता जब तक जीवित रहे तब तक अपना चक्की कारखाना लगाकर कारोबार करते रहे। प्रार्थी के पिता के भाई जगदीश चन्द्र जब तक जीवित रहे तब तक उन्होंने विवादित मकान को लेकर प्रार्थी के पिता अथवा प्रार्थी के कब्जा दखल में कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। दुर्भाग्यवश श्री जगदीश चन्द्र की मृत्यु दिनांक 01.12.2014 को हो गयी और श्री जगदीश चन्द्र की मृत्यु के उपरान्त जगदीश चन्द्र के वारिसानों ने भी माह जून सन 2023 तक विवादित मकान के सम्बन्ध में प्रार्थी के कब्जा दखल में कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद उपरोक्त विवादित मकान के मालिक काबिज दखील प्रार्थी, प्रतिवादी संख्या 2 एवं प्रार्थी की माँ श्रीमती किशोरी देवी उर्फ किशन किशोरी हुयी। प्रार्थी की माँ ने अपने जीवन काल में दिनांक 08.06.2018 को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति के बाबत एक वसीयत प्रार्थी के हक में तहरीर कराकर पंजीकृत करा दी। दुर्भाग्यवश शपथकर्ता एवं प्रतिवादी संख्या 2 की माँ की मृत्यु दिनांक 10.03.2019 को हो गयी और प्रार्थी एवं प्रतिवादी संख्या 2 की माँ की मृत्यु के बाद उपरोक्त विवादित मकान में प्रार्थी का 2/3 भाग हुआ एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 भाग हुआ। दिनांक 30.07.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 विवादित मकान पर आया और उसने प्रार्थी से जाहिर किया कि उसने विवादित मकान को प्रतिवादी संख्या 2 से क्रय कर लिया है कि जिस बात पर प्रार्थी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ तथा उसने प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि उपरोक्त मकान तो प्रार्थी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का है और प्रार्थी एवं प्रतिवादी संख्या 2 उस पर पूर्वजों के जमाने से काबिज दखील चले आ रहे हैं कि जिस मकान को आप बिना वादी के बताये एवं बिना प्रार्थी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के मध्य बटवारा हुए आप प्रतिवादी संख्या 2 से कैसे खरीद सकते हैं कि जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 लड़ाई झगड़े पर आमदा हो गया कि जिस पर गांव के कई सम्भ्रान्त व्यक्ति मौके पर एकत्र हो गये कि जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 उस समय अपनी हरकत बेजा में कामयाब नहीं हो सका लेकिन जाते जाते वह प्रार्थी को ऐलानियां धमकी दे गया कि वह जल्द से जल्द अपनी ताकत व गुण्डागर्दी के बलबूते पर तथा अपने राजनैतिक असर का नाजायज फायदा उठाते हुए इलाका पुलिस आदि की मदद से विवादित मकान पर जबरन अबैध कब्जा करके ही रहेगा कि जिस बात का कोई हक व अधिकार प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त नहीं है। इस पर प्रार्थी आनन फानन में तहसील बिधूना गया और अपने अधिवक्ता से मिलकर कार्यालय सब-रजिस्ट्रार बिधूना में मुआयना कराया तो पता चला कि प्रतिवादीगण ने प्रार्थी के साथ छल कपट कारित करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 ने विवादित मकान को प्रतिवादी संख्या 2 से दिनांक 08.08.2017 को क्रय कर लिया है तब प्रार्थी ने उपरोक्त बैनामे की नकल प्राप्त की जिसके उपरान्त ही प्रार्थी को सम्पूर्ण तथ्य की जानकारी हुई इसके पूर्व प्रार्थी को विवादित बैनामा के सम्बन्ध में कतई कोई जानकारी नहीं थी और न ही प्रतिवादीगण द्वारा कभी भी विवादित बैनामे के सम्बन्ध में प्रार्थी को अवगत कराया गया था। प्रतिवादी

संख्या 1 जो कि निहायत ही चालाक व बेईमान किस्म का अराजक तत्वों से मेल रखने वाला मुकदमें बाज एवं दूसरों की सम्पत्ति को हड़पने वाला व्यक्ति है, उसने प्रतिवादी संख्या 2 से सांठ गांठ कर विवादित मकान में प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से से अधिक जगह का बैनामा दिनांक 08.08.2017 को करा लिया है कि जो बैनामा अपने आप में जाली फर्जी, नाकाबिल निफाज, शून्य व बेअसर दस्तावेज है और अलावा दीगर कारणों के वादपत्र में दिये गये कारणों से भी शून्य घोषित होने योग्य है। बैनामा निजाई की जानकारी हो जाने के बाद प्रार्थी ने प्रतिवादीगण से कई बार कहा व कहलवाया कि वह लोग बैनामा निजाई को शून्य घोषित कराले और विवादित मकान में प्रार्थी के कब्जा दखल आदि में कोई हस्तक्षेप न करें लेकिन प्रतिवादीगण किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है और जाली फर्जी नाकाबिल निफाज शून्य व बेअसर दस्तावेज के आधार पर अपने हेली मेली साथियों की मदद से प्रार्थी के विवादित मकान पर जबरन कब्जा नाजायज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस बावत प्रतिवादीगण प्रार्थी को लगातार ऐलानियां धमकी भी दे रहे है कि जिसका कोई हक व अधिकार प्रतिवादीगण को प्राप्त नहीं है। यदि प्रतिवादीगण अपनी बेजा हरकत में कामयाब हो गये और उन्होने प्रार्थी को विवादित मकान से जबरन बेदखल कर उस पर कब्जा नाजायज कर लिया तो इससे प्रार्थी की अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई भविष्य में किसी भी प्रकार से होना सम्भव न होगी। लिहाजा मजबूरन प्रार्थी द्वारा उपरोक्त वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध वास्ते शून्य घोषित कराने तथा कथित बैनामा हेतु दायर अदालत किया गया है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया यह वाद सही है और सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित न होने से प्रार्थी की सख्त हक तलफी व नुकसान है जिसकी भरपाई भविष्य में हो पाना सम्भव नहीं है। न्यायहित में वाद लम्बन काल में प्रतिवादीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित होना अति आवश्यक है।

4. प्रार्थी/वादी के द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य में सूची कागज संख्या 11ग से बैनामा दिनांकित 08.08.2017 की छायाप्रति कागज संख्या 13ग/1 ता 13ग/9, वसीयत दिनांकित 08.06.2018 की छायाप्रति कागज संख्या 13ग/10 ता 13ग/16, सूची कागज संख्या 23ग से उद्धरण खतौनी बाबत गाटा संख्या 815मि0 रकवा 0.0930 हैक्टेयर ग्राम पुर्वा दानशाह तहसील बिधूना जिला औरैया की सत्यापित प्रतिलिपि कागज संख्या 24ग/1 ता 24ग/3 से दाखिल किये गये हैं।

5. अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश 39 नियम 1 व 2 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से नियमित होती है। अस्थाई व्यादेश का अनुतोष पाने हेतु वादी को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित विधि व्यवस्था **Gujrat Bottling Co. Ltd.V. Coca Cola Company 1995(5) SCC 545** में दिये गये प्रतिस्थापित सिद्धांतों के प्रकाश में निम्नलिखित तथ्यों को साबित करने का भार है।

- 1- प्रथम दृष्टया केस का होना।
- 2- सुविधा का संतुलन होना।
- 3- वादी को अपूर्णनीय क्षति का होना।

प्रथम दृष्टया केस का होना :-

6. प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी/वादी के पक्ष में होना अस्थायी निषेधाज्ञा का एक महत्वपूर्ण बिन्दु है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Dalpat kumar Vs Prahlad singh (1) SCC 719** में प्रतिपादित किया है कि प्रथम दृष्टया केस का प्रथम दृष्टया अधिकार/शीर्षक से दुर्बोध नहीं करना

चाहिए। अपितु प्रथम दृष्टया केस का मतलब प्रार्थी के हक में किसी भी विचारणीय अधिकार का होना है, जिसका निश्चयन साक्ष्य संकलन के पश्चात किया जा सकेगा।

7. इस वाद में प्रार्थी/वादी द्वारा विवादित स्थल को मकान कहकर सम्बोधित किया गया है। विवादित मकान को गाटा संख्या 815मि०/0.093 हैक्टेयर ग्राम पुर्वा दानशाह में 0.017 हैक्टेयर में स्थित बताया गया है। वादी द्वारा विवादित स्थल में एक कमरा, एक बरामदा तथा टीन शैड होनी बतायी गयी है, इसके साथ ही विवादित स्थल में चक्की कारखाना होने की बात वर्णित की गयी है।

8. वादी का अभिकथन है कि यह वाद सम्पत्ति उसके पिता द्वारा क्रय की गयी थी। पिता की मृत्यु के पश्चात विवादित सम्पत्ति वादी, प्रतिवादी संख्या 2 एवं उनकी माता किशोरी देवी उर्फ किशन किशोरी के स्वत्व में आयी। वादी की माँ के द्वारा उसके हक में 08.06.2018 को समस्त सम्पत्तियों में अपने हिस्से की वसीयत कर दी है। वादी के अभिकथनानुसार वसीयत का पंजीकरण कराया गया था। वादी के अनुसार उपरोक्त वसीयत के बाद उसे वाद सम्पत्ति में 2/3 हिस्से पर स्वत्व प्राप्त हुआ, परन्तु वादी के भाई प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा दिनांक 08.08.2017 को वाद सम्पत्ति का बैनामा प्रतिवादी संख्या 1 के हक में लिख दिया गया, वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा वाद सम्पत्ति में अपने स्वत्व की भूमि से अधिक का क्रय किया गया है। आज की परिस्थिति में प्रतिवादीगण, वादी को वाद सम्पत्ति से निष्कासित करने हेतु प्रयासरत हैं। अतः ऐसी स्थिति में अस्थायी निषेधाज्ञा का व्यादेश उसके हक में जारी किया जाये।

9. वादी के द्वारा विवादित सम्पत्ति का माप एवं चौहद्दी वर्णित की गयी है। वादी के अभिकथनानुसार वाद सम्पत्ति की पूरवी-पश्चिमी भुजा का माप 60 फीट, उत्तरी-दक्षिणी भुजा का माप 30 फीट है। विवादित स्थल को अ,ब,स,द से वादपत्र से संलग्न नक्शा नजरी में दर्शित किया गया है। अ,ब एवं स,द भुजा का माप 60 फीट प्रत्येक; अ,स एवं ब,द भुजा का माप 30 फीट प्रत्येक वर्णित है। विवादित स्थल की चौहद्दी इस प्रकार वर्णित की गयी है कि उत्तर में मकान सुधरलाल शर्मा, दक्षिण में आराजी अजय कुमार व विशेष कुमार, पूरव में शेष आराजी प्रतिवादीगण तथा पश्चिम में औरैया-कन्नौज रोड़ है।

10. यहाँ इस स्तर पर प्रकरण में आहूत अमीन आख्या का अवलोकन आवश्यक है, जिसके अनुसार विवादित स्थल पर तीन कमरे पक्के धन्नपटान एवं टीन शैडयुक्त जगह है, शेष खुली जगह है जिसमें दर्शित स्थान पर मौके पर कुंडी पक्की बनी है। मानचित्र में दर्शित जानिव पूर्वी कमरे में मौके पर कारखान की मशीन इंजन आदि कायम है तथा एक आटा चक्की कायम है जो मौके पर पुराने प्रतीत हो रहे हैं। मानचित्र में दर्शित विवादित स्थल एवं विवादित स्थल के जानिव पश्चिमी तरफ मौके पर गैर विवादित जगह में मौके पर फर्नीचर का सामान व्यवसाय हेतु रखा पाया। मानचित्र में दर्शित अक्षर द से अक्षर स के मध्य मौके पर दर्शित स्थान पर एक दरवाजा कायम है जिसमें अक्षर D से इंगित किया गया है। तथा अमीन अदालत द्वारा वाद सम्पत्ति की चौहद्दी इस प्रकार वर्णित की गयी है कि वाद सम्पत्ति के पूरव में जगह जगदीशचन्द्र शुक्ला, पश्चिम में औरैया-बेला मार्ग व मार्ग की खाली जगह में टीनशैड युक्त जगह जिसमें फर्नीचर का सामान व्यवसाय हेतु रखा है, उत्तर में मकान सुधरलाल शुक्ला का, दक्षिण में जगह विशेष कुमार शुक्ला व अजय कुमार शुक्ला है। अमीन के द्वारा विवादित सम्पत्ति की भुजा अ,ब एवं स,द को 18.3 मीटर बताया गया है जिसको कि

फीट में परिवर्तित करें तो वह 60 फीट निकलकर आती है। तथा वाद सम्पत्ति की भुजा अ,द एवं ब,स को 8.53 मीटर बताया गया है, जिसे अगर फीट में परिवर्तित करें तो करीब 28 फीट लम्बाई निकलती है। विवादित सम्पत्ति के नक्शा नजरी एवं अमीन नक्शा नजरी में समानता है, इस समानता के कारण यह न्यायालय वाद सम्पत्ति के चिन्हांकन को लेकर संतुष्ट है।

11. वादी के द्वारा प्रस्तुत कागज संख्या 24ग जो कि भूमि संख्या 815मि0 की खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि है, के अनुसार वादी तथा प्रतिवादी संख्या 2 का नाम उक्त भूमि के संबंध में बतौर श्रेणी-1क के संक्रमणीय भूमिधर के तौर पर दर्ज हैं।

12. वादी के द्वारा प्रस्तुत प्रश्नगत बैनामें के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा विवादित सम्पत्ति में से 864 वर्ग फीट जगह का बैनामा प्रतिवादी संख्या 1 के हक में दिनांक 08.08.2017 को किया है। अगर अमीन आख्या के आधार पर वाद सम्पत्ति के कुल क्षेत्रफल की गणना करें तो वह 1680 वर्ग फीट निकलकर आता है।

13. वादी द्वारा दाखिल कागज संख्या 13ग/10 ता 13ग/16 दाखिल किया गया है, जो कि वादी तथा प्रतिवादी संख्या 2 की माँ के द्वारा वादी के हक में की गयी पंजीकृत वसीयत की छायाप्रति है, के अनुसार वादी की माँ किशोरी देवी उर्फ किशन किशोरी ने ग्राम पुर्वा दानशाह तहसील बिधूना जनपद औरैया स्थित भूमि संख्या 795/1, 796/2, 666/1, 666/2, 815मि0, 784/1ख में अपने कुल अंश एवं एक किता मकान स्थित ट्रांसपोर्ट नगर कानपुर शहर को वादी के हक में अपनी अन्तिम इच्छा द्वारा वसीयत किया गया है। प्रार्थी/वादी के पिता की मृत्यु सन 2010 में हुयी तथा प्रार्थी की माता की मृत्यु सन 2019 में होना बताया गया है, परन्तु प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को सन 2017 में ही विवादित मकान में से करीब आधा भाग विक्रय कर दिया गया था। प्रथम दृष्टया विक्रय की दिनांक को प्रतिवादी संख्या 2 आधे भाग का मालिक काबिज नहीं था, किस पक्षकार का कितना हिस्सा था यह तथ्य साक्ष्य के समग्र अवलोकन के वाद ही निश्चित हो सकेगा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अमीन अदालत के द्वारा विवादित स्थल की वही स्थिति वर्णित की गयी है, जो कि प्रार्थी/वादी द्वारा की गयी है, इस तथ्य से उपधारणा को बल मिलता है कि वादी ही विवादित स्थल में इस समय अध्यासन में है। वादी के द्वारा प्रथम दृष्टया न्यायालय के समक्ष कागज संख्या 24ग से भी अपना अध्यासन दर्शित किया गया है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जिस व्यक्ति का नाम खतौनी में दर्ज हो विवादित सम्पत्ति के अध्यासन में उस व्यक्ति के होने की उपधारणा की जाती है। विधि का यह भी सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया के किसी भी सम्पत्ति से निष्कासित नहीं किया जाना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। विवादित स्थल की खतौनी में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज नहीं है। इस वाद के अन्त में यही निर्धारण होना है कि क्या प्रतिवादी संख्या 1 को प्रतिवादी संख्या 2 से कोई अधिकार प्राप्त हुये अथवा नहीं। प्रथम दृष्टया चूंकि प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना समग्र अधिकार विवादित सम्पत्ति में प्रतिवादी संख्या 1 को अन्तरित कर दिया, ऐसे में उसे वाद सम्पत्ति के अध्यासन में नहीं माना जा सकता। यहाँ न्यायालय का यह दयित्व है कि प्रार्थी/वादी के अध्यासन की वाद के निस्तारण तक सुरक्षा करें। इस प्रकरण में वादी द्वारा प्रथम दृष्टया केस सिद्ध किया गया है।

सुविधा का संतुलन होना:-

14. सुविधा के संतुलन का अर्थ होता है कि अगर अस्थायी निषेधाज्ञा वादी के हक में जारी नहीं की गई तो वादी को होने वाला नुकसान उस नुकसान से ज्यादा होगा जो कि प्रतिवादी/विपक्षी को अस्थायी निषेधाज्ञा से निषेधित किये जाने की स्थिति में कारित होगा। इस प्रकरण में प्रथम दृष्टया प्रार्थी/वादी का अध्यासन वाद सम्पत्ति पर दर्शित है। ऐसे में यदि प्रतिवादीगण के द्वारा उसे वाद सम्पत्ति से निष्कासित कर दिया गया तो उसे होने वाली क्षति उस क्षति से ज्यादा होगी, जो कि प्रतिवादीगण को उस स्थिति में होने की सम्भावना है जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थी/वादी के हक में जारी कर दी जाये। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी/वादी के पक्ष में है।

वादी को अपूर्णनीय क्षति का होना:-

15. अपूर्णनीय क्षति का मतलब है कि अस्थायी निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थी/वादी को जो क्षति होगी, उसकी हर्जे से भरपाई नहीं की जा सकेगी। इस प्रकरण में अगर प्रार्थी/वादी को निष्कासित किया गया अथवा प्रतिवादी के द्वारा यदि प्रश्नगत बैनामें के आधार पर वाद सम्पत्ति को आगे अन्तरित किया गया, तो उस स्थिति में वाद की बहुलता होगी एवं दोनों ही स्थितियों में प्रार्थी/वादी को होने वाली क्षति की गणना धनराशि में इस समय नहीं की जा सकती है। अतः इस प्रकरण में प्रार्थी/वादी को अपूर्णनीय क्षति होने की सम्भावना है।

16. ऊपरी वर्णित सम्प्रेषण के आधार पर प्रार्थी/वादी के हक में अस्थायी निषेधाज्ञा का अन्तरिम व्यादेश दौरान मुकदमा जारी किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

प्रतिवादीगण एवं उनके विधिक प्रतिनिधियों को निषेधित किया जाता है कि वह दौरान मुकदमा वाद सम्पत्ति, जिसे कि नक्शा वादपत्र में अ,ब,स,द व रंग लाल से प्रदर्शित किया गया है तथा जिसकी चौहद्दी व माप नक्शा वादपत्र में अंकित है, में से वादी को न तो बेदखल करें, न ही कोई नाजायज कब्जा करें या करावें, न ही प्रार्थी/वादी के वाद सम्पत्ति में आवासित रहने, उपयोग व उपभोग करने में हस्तक्षेप/अवरोध करें। तदनुसार प्रार्थना पत्र 6ग निस्तारित। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 02.01.2026 को पेश हो।

दिनांक:-28.11.2025

(कुशाग्र मिश्र)
अपर सिविल जज (जू०डि०),
बिधूना, औरैया
J.O. Code : UP4693